

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 014/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/56)	दायर दिनांक 07-03-2024	निर्णय दिनांक 27-03-2024
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

जगदीश प्रसाद वैष्णव पिता दौलतदास निवासी भैंसरोडगढ़, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005****--:: निर्णय ::--**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./013/2024(सू.अ.)(27.03.2024) दिनांक 07.03.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 27.03.2024 अपील अपीलार्थी हाजिर रहे एवं वांछित सूचना अप्राप्त होना जाहिर किया। हस्तगत प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा किसी भी प्रकार से कोई लिखित टिप्पणी/अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन-पत्र दिनांक



08.01.2024 मय आवेदन शुल्क भारतीय डाक आदेश संख्या 62F 397303 तादादी रूपये 10/- अक्षरे दस रूपये मात्र का जरिये रजिस्टर्ड डाक संख्या RR591638893IN के दिनांक 08.01.2024 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को प्रेषित किया गया है, किन्तु अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार निर्धारित समयावधि में उक्त आवेदन-पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन की निस्तारण की विहित समयावधि पश्चात् प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 08.01.2024 में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से लगायत 02 तक सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समयावधि में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 08.01.2024 जो कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा को दिनांक 08.01.2024 को प्रेषित किया गया है, बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन-पत्र दिनांक 08.01.2024 से वांछित सूचना 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना स्वयं के कार्यालय से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति वांछित सूचना जिस विभाग अथवा कार्यालय से अपेक्षित हो उक्त विभाग/कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से स्वयं प्राप्त कर प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करावें पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय को प्रेषित करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.03.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)